राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामजीलाल बनाम लाली देवी

तारीख हुक्म	2038/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/02/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 की और से अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा ने वकालतनामा मय अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 88/2025 निर्णय दिनांक 30/01/2026 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मूल वाद डिक्री किये जाने से एवं विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 88/2025 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30/01/2026 को अन्तिम निस्तारित कर दिया गया है, जिससे यह धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील अब सारहीन हो गयी है। अत: अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से ख़ारिज फरमाई जावे। हमने अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 के कथनों के परिपेक्ष में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित निर्णय दिनांक 30/01/2026 का अवलोकन किया गया। जिससे रेस्पो. की कथनों की पुष्टि होती है कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद का एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम निस्तारण हो गया है जिससे यह अपील अब स्पष्ट रूप से सारहीन हो गयी है। अत: अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	